



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 15.05.2025

वीडीए ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

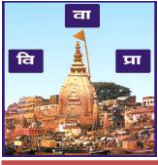
वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। आईपी सिगरा मॉल के बगल में बगैर मानचित्र स्वीकृत निर्माण कराया जा रहा था। प्रवर्तन टीम ने नोटिस देने के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर पुलिस को अभिरक्षा में दिया। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति की देखरेख में कार्रवाई हुई। ब्यूरो

अमर उजाला—दि० 15.05.2025

यूटिलिटी सेवाओं के लिए बना केबल डक्ट

वाराणसी। फुलवरिया चौराहे से सेंट्रल जेल तक फुटपाथ निर्माण के तहत यूटिलिटी सेवाओं के लिए केबल डक्ट का निर्माण किया गया। फुलवरिया चौराहे से सेंट्रल जेल तक के मार्ग पर फुटपाथ का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत संबंधित विभागों से विचार-विमर्श के उपरांत फुटपाथ के नीचे सेवेन वे केबिल डक्ट का प्रावधान किया गया है। जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक लाइन, ओएफसी केबल इत्यादि यूटिलिटी सेवाओं को व्यवस्थित रूप से डाला जा सकेगा। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

अमर उजाला-दि० 15.05.2025

40,82,947 रुपये शमन शुल्क जमा हुआ

वाराणसी। वीडिए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को वीडिए सभागार में बैठक की। लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा कर शीघ्र मानचित्र निस्तारण का निर्देश दिया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल में 40,82,947 रुपये शमन शुल्क जमा कराया गया। जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में अब तक 38,60,280 रुपये शमन शुल्क जमा हुआ है। ब्यूरो

आज-दि० 15.05.2025

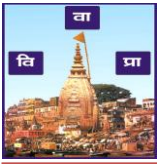
नयी तकनीकसे फुलवरियासे सेन्ट्रल जेलतक होगा फुटपाथका निर्माण

फुलवरिया चौराहेसे सेन्ट्रल जेलतक निर्माण करनेके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरणने यूटिलिटी सेवाओं और केबिल डक्टका कार्य शुरू कर दिया है। शुरूमें यह फुलवरियासे सेन्ट्रल जेलतक फुटपाथके रूपमें विकसित किया जायेगा। इस परियोजनाके अन्तर्गत फुटपाथके नीचे केबिल डस्टका प्राविधान किया गया है, जिससे भविष्यमें इलेक्ट्रिक लाइन, ओएफसी सेवाओंको विस्तृत रूपमें डाला जा सके और इससे फुटपाथ रास्तेमें किसी प्रकारकी रुकावट न पैदा हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि बार-बार सड़ककी खोदाईपर रोक लग जायेगी। डक्टका उपयोग संबंधित विभाग केवल वीडिए से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति ले सकती है। विप्रा शहरमें इस प्रकारकी तकनीकी और भौतिक संरचना प्रथम बार विकसित कर रही है जो नागरिकोंको दीर्घकालीन लाभ देगा।

बिना स्वीकृत मानचित्रके भवन निर्माणपर चला हथौड़ा

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर जोन तीन चेतगंजमें बिना मानचित्रके स्वीकृत कराये हो रहे निर्माणपर अंकुश लगाया। भवन संख्या सी१९/१२६-६ आईपी मॉल सिगराके बगलमें भवनस्वामी बिना मानचित्रके भवनका निर्माण कर रहा था। जानकारीके बाद मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापति, अवर अभियन्ता राजीव शर्मा, सिगरा थानेकी पुलिसकी मौजूदगीमें प्रवर्तन विभागके कर्मचारियोंने छतपर सैकड़ों होल कर दिये जिसकी वजहसे नवनिर्मित भवन ढहनेका खतरा पैदा हो गया। जानकारीके अनुसार भवनस्वामीने विप्रा अभियन्ताओंपर राजनीतिक और अन्य प्रकारके लोभनमें डालनेका प्रयास किया लेकिन अधिकारियोंने उनकी बात अनुसूनी करते हुए लेक्ष्यको पूरा किया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा—दि० 15.05.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण तोड़ा

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड-चेतगंज में अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। वार्ड-चेतगंज के अंतर्गत आईपी सिगरा मॉल के बगल, वार्ड-चेतगंज में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए चतुर्थ तल पर सरियों एवं सटिंग का कार्य किये जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता राजू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।

राष्ट्रीय सहारा—दि० 15.05.2025

फुटपाथ के नीचे वीडीए करेगा डक्ट का निर्माण

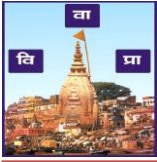
वाराणसी। फुलवरिया चौराहे से सेन्ट्रल जेल तक फुटपाथ निर्माण के अंतर्गत यूटिलिटी सेवाओं के लिए केबिल डक्ट वाराणसी के समग्र एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से फुलवरिया चौराहे से सेन्ट्रल जेल तक के मार्ग पर फुटपाथ का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत संबंधित विभागों से विचार-विमर्श के उपरांत फुटपाथ के नीचे 7-वे केबिल डक्ट का प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक लाइन, ओएफसी केबल इत्यादि यूटिलिटी सेवाओं को व्यवस्थित रूप से डाला जा सकेगा। इस कार्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़कों की बार-बार खुदाई की आवश्यकता न पड़े और समग्र नगरीय व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित एवं टिकाऊ बने। इस डक्ट का उपयोग संबंधित विभाग केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर एवं विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कर सकेंगे। इस पहल से वाराणसी शहर में तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचना का विकास संगठित ढंग से किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय सहारा—दि० 15.05.2025

मानचित्र के सापेक्ष शमन शुल्क न जमा करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-एक एवं जोन-दो की समीक्षा बैठक की। इस दौरान लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा करते हुए जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। जोन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 05 मई 2025 से 11 मई 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 11,90,397 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 40,82,947 एवं जोन-दो के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 05 मई 2025 से 11 मई 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 37,82,893 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 38,60,280 जमा कराया गया है। बैठक में मानचित्र के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते बाग पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान-दि0 15.05.2025

66

वीडीए कॉलोनी (बड़ी गैबी) में पुलिस गश्त के लिए भेलूपुर थाना पुलिस को निर्देशित किया जाएगा। खासतौर से पार्क में सुबह और शाम को निगरानी बढ़ाई जाएगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगवाने के लिए स्थानीय लोगों से बात की जाएगी।

- गौरव बंसवाल, डीसीपी काशी जोन

न्यायाधीश-दि0 15.05.2025

वीडीए जोन-3 वार्ड-चेतगंज की प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही



वाराणसी। उपाध्यक्ष वविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 वार्ड-चेतगंज के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-चेतगंज के अंतर्गत भूखंड सं० सी०-19/126-6, मौजा-आई०पी० सिगरा मौल के बगल, वार्ड-चेतगंज, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए चतुर्थ तल पर सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27, 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नो०-प्रेषण संख्या: वी.डी.ए/डी.ए.पी/0021067 कार्यवाही करते हुये ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता राजू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

